

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय

All
Bls. not

क्रमांक 1407 / 2626 / 2018 / बयालीस(1)

भोपाल, दिनांक 17 / 10 / 2018

प्रति,
✓ संचालक
तकनीकी शिक्षा
सतपुड़ा भवन भोपाल।

2183
27/10/18

विषय--शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के प्रबंधन में जनभागीदारी की दृष्टि से संस्थाओं का संचालन।

--000--

राज्य शासन ने आदेश क्रमांक एफ-49-42-1-2001, दिनांक 12.07.2001 के द्वारा शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उनका स्थानीय प्रबंधन मध्यप्रदेश सोसाइटीरजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत समिति को सौंपे जाने का निर्णय लिया है। आदेश की कण्डिका (4) (घ) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

" परिषद की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभायेंगे। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्यगण अपने बीच में से किसी एक का चुनाव केवल उस बैठक के लिये अध्यक्ष के रूप में करेंगे।"

अतः उक्त प्रावधान अनुसार समस्त शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के प्रबंधन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

(आर.क.जैन)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज विभाग.

पु.क्रमांक: / 2626 / 2018 / बयालीस(1)

भोपाल, दिनांक / 10 / 2018

प्रतिलिपि:-

- 1 स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, तक.शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज.विभाग मंत्रालय, भोपाल।
- 2 निज सचिव, सचिव, म.प्र.शासन, तक.शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज.विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक.शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज.विभाग.